न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)
आर.ए.एस

प्रकरण सं./08/2014

1. सोदान पुत्र घीसा जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर **प्रार्थीगण**

बनाम

1. सुवा पुत्र बरघा जाति जाट निवासी गोरधनपुरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. सुगना पुत्र लनारायण जाति हरिजन निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. बाला पुत्र मन्ना जाति खारोल निवासी गोरधनपुरातहसील भिनाय जिला अजमेर
4. बदाम पत्नि हरिराम जाति जाट निवासी पाडलिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा पाडलिया पटवार हल्का पाडलिया भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खाता सं. 601 में दर्ज खसरा नं. 2540/827 रकबा 0.81 हैं0 भूमि जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 4 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 5 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर एवं खातेदारी भूमि का अतिकमियों से भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी ने यह वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत :न्याय आपके द्वार:2018 के तहत ग्राम पंचायत पाडलिया में पेश हुई। प्राथीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण नोटिस तामिली बावजूद अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोंकार सरकार ने प्रार्थना पत्र पर सीधे बहस करते हुए में राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक प्रार्थना में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार करते हुए पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित होना बताया। बहस उपस्थित पक्षकारान सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होना पाया जाता है। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा पाडलिया पटवार हल्का पाडलिया भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चापानेरी तहसील भिनाय जिला अजमेर की जमाबंदी संवत् 2069–2072 के खाता सं. 601 में दर्ज खसरा नं. 2540/827 रकबा 0.81 हैं0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी होने से नायब तहसीलदार भिनाय मौका कमीशनर नियुक्त कर मौके पर पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी पर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता हैं।पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत न्यायालय में सुनाया गया।

अध्यक्ष
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

सदस्य
लोक अदालत
उपखण्ड-भिनाय

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.28 13:39:38 IST
Reason: SelfAttested